प्रेषक,

अशोक कुमार यादव–चतुर्थ, एच0जे0एस0
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–02664

सेवा में,

मा0 महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा– मा0 जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

विषयः पूर्व विभागों में की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु वर्तमान सेवा में आगणित किये जाने संबंधी।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2018(पार्ट–2) सीधी भर्ती में चयनोपरांत उत्तर प्रदेश शासन के **कार्यालय ज्ञाप संख्या 2675 (II)/छः–पु–9–18–31(120)/17 दिनांकित 29.08.2019** एवं तत्संबंधी अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के **पत्रांक एक–दो–136–99 (143)/4550/2019 दिनांकित 30.08.2019** द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रथम नियुक्ति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उसके पूर्व पद अभियोजन अधिकारी, सीतापुर से कार्यमुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके अनुक्रम में कार्यालय संयुक्त निदेशक, अभियोजन सीतापुर से दिनांक 30.08.2019 (अपराह्न) में कार्यमुक्त होकर **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना सं0–2949/एडमिन(सर्विसेज)/2019 दिनांकित 20.08.2019** व तत्संबंधी **जौनपुर जजशिप के प्रशासकीय आदेश–67/2019 दिनांकित 21.08.2019** के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31.08.2019 (पूर्वाह्न) में जौनपुर जजशिप में पदभार ग्रहण किया गया, जहां से स्थानांतरण के उपरांत अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में गोरखपुर जजशिप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ है।

उच्चतर न्यायिक सेवा, उ0प्र0 में पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त होने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10.09.2001 से अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ रहा है तथा इसके पूर्व दिनांक 24.07.1996 से सहायक अभियोजन अधिकारी पद के पदभार ग्रहण हेतु कार्यमुक्त होने तक वह रक्षा लेखा विभाग, भारत सरकार में लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदस्थ रहा है। अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में दिनांक 10.09.2001 को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उसके द्वारा केन्द्र सरकार के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग में लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर दिनांक 24.07.1996 से की गयी सेवाओं को सेवा नैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश शासन के **पत्रांक 2705/छः–पु–9–09–31 (10)/2007 दिनांकित 28.04.2009** एवं तत्संबंधी अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के **पत्रांक एक–दो–136–99–(143)/2268/07 दिनांकित 06.05.2008** द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

निवेदित है कि उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश में पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 31.08.2019 (पूर्वाह्न) के पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 10.09.2001 से दिनांकित 30.08.2019 तक की गयी सेवा भी अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभों हेतु **सिविल सर्विस रेग्युलेशन के**

08/07/2024

अनुच्छेद 361 एवं **वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या सा–3–1671/दस–2010–301(9)–2003 टी0सी0 दिनांक 16.09.2018** के प्रावधानों के आलोक में आगणित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त के संदर्भ में माननीय से प्रार्थना है कि नियमानुसार अनुमन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा रक्षा लेखा विभाग व अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में की गयी पूर्व सेवाओं को उसकी वर्तमान सेवा में आगणित किए जाने हेतु शासन को अपनी संस्तुति प्रदान करने पर विचार करने की कृपा की जावे।

सादर।

दिनाँक–03.07.2024

भवदीय

03/07/2024

(अशोक कुमार यादव–चतुर्थ)

अनुलग्नकः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु नियुक्ति पत्र दिनांकित 27.08.2001,
2. सहायक अभियोजन अधिकारी पद का प्रभार प्रमाण पत्र दिनांकित 10.09.2001,
3. उच्चतर न्यायिक सेवा की नियुक्ति/विज्ञप्ति दिनांकित 09.08.2019,
4. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 20.08.2019,
5. अभियोजन अधिकारी, सीतापुर पद से कार्यमुक्ति संबंधी गृह (पुलिस) अनुभाग 9, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 29.08.2019,
6. अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का कार्यमुक्ति आदेश दिनांकित 30.08.2019,
7. कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, जनपद सीतापुर का कार्यमुक्ति आदेश दिनांकित 30.08.2019,
8. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर पद का प्रभार ग्रहण प्रमाण पत्र दिनांकित 31.08.2019,
9. अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश की सेवा में रक्षा लेखा विभाग की पूर्व सेवा के आगणन संबंधी अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 का पत्र दिनांकित 06.08.2008,
10. पेंशनयुक्त पूर्व सेवा के वर्तमान सेवा में अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणन संबंधी शासनादेश दिनांकित 16.09.2010